डीजी–परिपत्र संख्या– 38/2021

मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक अक्टूबर: 01 ,2021

विषयः–नियमित रूप से अर्दलीरूम किये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा–निर्देश

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रायःऐसे तथ्य मुख्यालय के संज्ञान में आये हैं कि गम्भीर अपराधों(Heinous Crime) की विवेचनाओं के निस्तारण में जनपद स्तर से पर्याप्त रूचि नही ली जा रही है। विवेचको द्वारा गम्भीर अपराधों की विवेचना अनावश्यक रूप से लम्बित रखी जाती है। विवेचना/जांचपत्रों के निस्तारण आदि के सम्बन्ध में थाना प्रभारियों/उपनिरीक्षको के कार्यो का निकटता से पर्यवेक्षण किये जाने हेतु पूर्व से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थानों का अर्दलीरूम करने की परम्परा प्रचलित है, के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित परिपत्र अनुपालनार्थ निर्गत किये गये हैं। यह व्यवस्था काफी उपयोगी थी, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व से प्रचलित अर्दलीरूम की व्यवस्था के संचालन में प्रभावी रूप से रूचि नही ली जा रही है।

डीजी परिपत्र–01/2019	दिनांक 02.01.2019
डीजी परिपत्र–28/2015	दिनांक 20.04.2015
डीजी परिपत्र–40/2016	दिनांक 17.07.2016
डीजी परिपत्र–31/2015	दिनांक 28.04.2015
डीजी परिपत्र–44/2015	दिनांक 15.06.2015
डीजी परिपत्र–51/2015	दिनांक 12.07.2015

आप सहमत होगें कि जहॉ एक ओर अर्दलीरूम की व्यवस्था सुदृढ किये जाने से विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होगा, वहीं दूसरी ओर थाना स्तर पर व्यवहरित किये जा रहे अभिलेखों के रख–रखाव कि अध्यावधिक स्थिति बेहतर होगी।

विवेचनाओं का तत्परता से निस्तारण तथा थाना प्रभारियों/उपनिरीक्षको के कार्यो का अतिनिकटता से पर्यवेक्षण किये जाने हेतु आप सभी के अनुपालनार्थ बिन्दु निम्नवत् हैः–

- जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद यह सुनिश्चित करें कि विवेचको द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण में अनावश्यक रूप से विलम्ब न किया जाए। विवेचना सम्बन्धी कार्य निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। समय का निर्धारण सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी द्वारा प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत स्वयं किया जायेगा।
- जनपद के अधिकारी जिस थाने का अर्दलीरूम कर रहें हो, उस थाने के कार्यालय भवन, बैरक तथा आवासीय भवनों आदि की साफ सफाई एवं अभिलेखों का रख–रखाव तथा भोजनालय का निरीक्षण किया जाए। तदौपरान्त उस थाने पर नियुक्त कर्मचारियों का सम्मेलन किया जाए तथा उनकी बीट बुक का निरीक्षण किया जाए।
- क्षेत्राधिकारी अपने सर्किल के थानों का प्रत्येक माह में कम से कम 02 आदेश कक्ष करेंगें एवं लम्बित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण समयबद्व निस्तारण करने हेतु गम्भीर प्रयास करेगें तथा 03 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं की सूची लम्बित रहने के कारणो को दर्शाते हुए अपर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेगें। यह आदेश कक्ष सर्किल के थानों में कमवार किया जायेगा।
- अपर पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र के थानों का माह में 01 बार आदेश कक्ष करेगें। आदेश कक्ष के दौरान 03 माह से अधिक समय से लम्बित ऐसी समस्त विवेचनाओं की समीक्षा करेगें कि किन कारणो से विवेचना लम्बित रही है एवं उनके समयबद्व एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गम्भीर प्रयास करेगें तथा अपने क्षेत्र में 06 माह से अधिक समय से लम्बित सभी विवेचनाओं की सूची लम्बित रहने के कारण के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेगें।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक 06 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में माह में कम से कम 01 बार आदेश कक्ष करके विवेचना लम्बित रहने के कारणों की गहराई से समीक्षा करेगें। अनावश्यक रूप से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में दोषी विवेचको के विरूद्व कार्यवाही करते हुए उनके समयबद्व एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु गम्भीर प्रयास करेगें।
- 06 माह से अधिक समय से लम्बित समस्त विवेचनाओं की सूची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी, जिसकी उनके द्वारा गहराई से समीक्षा करके ऐसी समस्त विवेचनाओं की साप्ताहिक प्रगति आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी से प्राप्त की जायेगी।

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह में प्रथम सप्ताह में ही किस थाने पर किस तिथि को अर्दलीरूम किया जाना है, का आदेश निर्गत किया जायेगा।
- क्षेत्राधिकारियों के पेशकार अर्दलीरूम के दिन अपने–अपने साथ सर्किल की प्रचलित सभी एस0आर0 फाइलें तथा अपराध रजिस्टर लेकर उपस्थित रहेगें। प्रत्येक थाना प्रभारी अपने थाने की सभी लम्बित विवेचनाओं की ब्रीफ एवं अपराधी के अलग–अलग नकशे लेकर आयेगें, जिसमें अध्यावधिक स्थिति अंकित रहेगी। क्षेत्राधिकारी के पेशकार इन नक्शों का मिलान अपने अभिलेखों से भलीभॉति करेगें।
- अर्दलीरूम करने वाले अधिकारियों द्वारा विवेचना की स्थिति जांच रजिस्टर एवं केस डायरियों का अवलोकन किया जायेगा।
- अर्दलीरूम करने वाले अधिकारियों द्वारा अर्दलीरूम करते समय यह अवश्य देखा जाए कि उनके द्वारा जो पूर्व में थाना प्रभारियों/उपनिरीक्षको को निर्देश दिये गये थे, उनका पालन कर लिया गया है अथवा नही। यदि नही किया गया है तो सम्बन्धित का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपनी टिप्पणी सहित अपर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेंगें तथा उसकी प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/ जनपद प्रभारी को प्रेषित करेगें ताकि सम्बन्धित के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके।
- अर्दलीरूम करते समय अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारियों/उपनिरीक्षको द्वारा की जा रही विवचेना में वांछित अभियुक्तों की गिरफतारी नही की गयी, अज्ञात प्रकरणों का अनावरण नही किया जा सका, अपराध के घटनास्थल के निरीक्षण में लापरवाही पायी गयी, काफी विलम्ब से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, विवेचनाओं को अकारण लम्बे समय तक लम्बित रखा गया, वारण्टो का तामीला नही कराया गया, लूटी गयी/चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी बहुत खराब रही, शिकायती प्रार्थना पत्रो के जांच में विलम्ब किया गया आदि को निकटता से अवश्य देखा जाए।
- अर्दलीरूम में अधिकारियों द्वारा उपरोक्त बिषयों के सम्बन्ध में थाना प्रभारियों/उपनिरीक्षकों को विस्तार से अवगत करा दें कि वार्षिक मंतब्य अंकित करतें समय उक्त समस्त विषयों को प्रमुखता दी जायेगी।
- क्षेत्राधिकारियों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन उनके अधीनस्थ थाना प्रभारियों/उपनिरीक्षको की उपरोक्तॉकित विषयों पर कार्यदक्षता/निष्पादन की स्थिति को अवश्य दृष्टिगत रखते हुये किया जाए।
- अपर पुलिस महानिदेशक जोन्स, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक जब भी जनपदों का भ्रमण करें, तो यह अवश्य देखें कि अर्दलीरूम/आदेश कक्ष से सम्बन्धित इस परिपत्र में इंगित निर्देशों का जनपदीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है अथवा नही। यदि अनुपालन किये जाने में शिथिलता/लापरवाही बरती जा रही है तो उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए।

मैं चाहूँगा कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करा दें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि इन निर्देशों का अनुपालन शत्–प्रतिशत किया जा रहा है।

तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(मुकुल गोयल)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
   पुलिस अधीक्षक,प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।